

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 1984/चैत्र 1, 1906
No. 122] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 1984/CHAITRA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1984

क्रा. आ. 183(अ).—चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 43 के उप-
नियम (1) के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5घ
की उप धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्द्वारा फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण का तत्काल से गठन करती है जिसके
निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री त्याग देव मिश्र, मुख्य न्यायाधीपति (सेवानिवृत्त)
7, मथुरा रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014 अध्यक्ष
2. श्री एन. जे. कामथ, वी-38, कैलाश अपार्टमेंट,
नई दिल्ली-48 सचिव

3. श्रीमती मनमोहनी सहगल, डी-2/69, पंडारा रोड,
सर्किल नम्बर-110003.

सदस्य

[फाइल संख्या 822/3/82-एफ (सी)]

एस. एस. गिल, सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1984

S.O. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 5-D of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with sub-rule (1) of rule 43 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby constitutes the Film Certification Appellate Tribunal consisting of the following members with immediate effect :—

1. Shri Vyas Dev Mishra, Chief Justice (Retired) 7
Mathura Road, Jangpura New Delhi-110048
—Chairman
2. Shri N. J. Kamath, B-38 Kailash Apartment, New
Delhi-110048
—Member.
3. Smt. Manmohani Sehgal, D-II/69 Pandara Road,
New Delhi-110003
—Member.

[File No. 822/3/82-F(C)]

S. S. GILL, Secy.